रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225676
CG-DL-E-05032021-225676

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942
No. 91] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

WWW.TAXSCAN.IN

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

### भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन)

**फा.सं. आई.बी.बी.आई/2020-21/जी.एन/आर.ई.जी.069.**—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है), के विनियम 31 में,-

(i) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) परिसमापक, दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास हितधारकों की सूची फाइल करेगा ।"

(ii) उप-विनियम (5) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) प्रसार के लिए बोर्ड के इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर, उसकी बैवसाइट पर फाइल की जाएगी:

परन्तु यह खंड भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् चालू और प्रारंभ होने वाली प्रत्येक समापन प्रक्रिया को लागू होगा ।";

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./527/2020-21]

**टिप्पण**: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 490, तारीख 13 नवम्बर, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.067, तारीख 13 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था ।

WWW.TAXSCAN.IN

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2021

**Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2021**

**F. No. IBBI/2020-21/GN/REG069.**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 31,

(i) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(2) The liquidator shall file the list of stakeholders with the Adjudicating Authority within forty-five days from the last date for receipt of the claims."

(ii) in sub-regulation (5), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(d) filed on the electronic platform of the Board for dissemination on its website:

Provided that this clause shall apply to every liquidation process ongoing and commencing on or after the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2021.";

DR. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./527/2020-21]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Fourth Amendment) Regulations, 2020 *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG067 dated the 13th November, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 490 on 13th November, 2020.

WWW.TAXSCAN.IN

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.05 22:36:42 +05'30'